Continuation Note Sheet

0.2024

बहस मूल प्रार्थना पत्र 251–क पर सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है, प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता का अभाव है। प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि में आने जाने के लिए चक 3 जी बडी मुरबा नम्बर 25 किला नं. 21 ता 25 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस का विधि के परिप्रेक्ष्य में मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा रास्ता 251–ए में आत्यन्तिक रास्ते की आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु पर विचार किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रार्थी मुरबा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 ता 25 (पूर्वी दिशा) में चल रहे रास्ता में से अपने रकबा में आना जाना करता हैं। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है।

1. प्रार्थी द्वारा जिस रास्ता को स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया है वह लघुतम रास्ता नहीं है।
2. प्रार्थी द्वारा रास्ता आधा मांगा गया है, जिसे स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
3. प्रार्थी द्वारा बैयनामा के आधार पर रास्ता चाहा गया है जो की न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। यदि प्रार्थी द्वारा रास्ता खरीद किया गया है तो प्रार्थी उस रास्ता से अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर रहा है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिनांक 18.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner